प्राक्कथन

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 2018-23 की अवधि को आच्छादित करते हुए 'उत्तराखण्ड द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के कार्यान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष सम्मिलित किए गए हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उत्तराखण्ड सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करता है।